मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–262/2023

1 पंकज कुमार पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवारी पीरकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2 गगन पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवारी पीरकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – वादी

बनाम

1 मोहनलाल पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2 सरोज पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

अन्तर्गत धारा :– 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 20.2.2024

वादी की ओर से श्री रोहिताश चाहर अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री अरविन्द नैण अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.2.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी के विद्धान अभिभाषक की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित प्रतिवादी संख्या [illegible] चक न0 12 एफ.टी.पी.–बी के खाता संख्या 78/70 की कुल 3.934 हैक्टर कृषि भूमि में वादी संख्या को 1/4 हिस्सा, [illegible] वादी संख्या 2 को 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 को 1/4 हिस्सा का [illegible] काश्तकार घोषित किये जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर चक न0 12 एफ.टी.पी.–बी के

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:11:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खाता संख्या 78/70 में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 20.2.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	––	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	––
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	––	अर्जी के लिये स्टाम्प	––
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	––	प्लीडर की फीस	––
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	––	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	––
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	––	आदेशिका की तामिल	––
कमिश्नर की फीस	––	कमिश्नर की फीस	––
आदेशिका की तामिल	––		
योग	––	योग	––

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:11:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner